भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3404 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

कुंबलम-थेवरा पुल परियोजना

†3404. श्री हैबी ईडन :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोच्चि में कुंबलम-थेवरा पुल परियोजना, जिसे केरल सरकार द्वारा वर्ष 2016 में स्वीकृत एवं बजट में सम्मिलित किया गया था, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई आपत्तियों के कारण लगभग दस वर्षों तक विलंबित रही और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पुल की अभिकल्पना (डिजाइन) एवं संरेखण (अलाइनमेंट) में अनेक बार संशोधन किए जाने के बावजूद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने में हुए लंबे विलंब के कारणों की जांच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुल के डिजाइन में छह बार तथा संरेखण में पाँच बार परिवर्तन किया गया, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब से बचने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान किए जाने हेतु कोई समयबद्ध व्यवस्था लागू करने का है; और

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): 02.07.2020 को केरल सड़क निधि बोर्ड (केआरएफबी) ने कुंबलम - थेवरा पुल के निर्माण के लिए दिनांक 31.10.2016 के केरल सरकार की परियोजना की स्वीकृति के बारे में सूचित किया और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की। क्योंकि, अनुरोध सामान्य व्यवस्था आरेख

(जीएडी) के बिना था, आईडब्ल्यूएआई ने केआरएफबी से निर्दिष्ट विनियमनों के अनुसार एनओसी के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया।

केआरएफबी द्वारा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2008 (2016 और 2022 में संशोधित) के अनुपालन में जीएडी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बजाय, केआरएफबी ने आईडब्लूएआई से नौचालन चैनल को परिवर्तित करने का अनुरोध किया, जो संभव नहीं था। इसके बाद, केआरएफबी ने 25.11.2024 को संशोधित जीएडी प्रस्तुत किया और तदनुसार, 23.01.2025 को एनओसी जारी की गई।

(ग): जी हाँ, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2008 (2016 और 2022 में संशोधित) के अनुसार, नौचालन आवश्यताओं को पूरा करने के लिए केआरएफबी द्वारा 6 बार पुल का डिजाइन बदला गया।

(घ) और (ङ): समयबद्ध तरीके से मामलों को संसाधित करने के लिए ऑनलाइन तंत्र पहले से ही मौजूद है-'क्रॉस स्ट्रक्चर के लिए एनओसी पोर्टल' जो आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट - iwai.gov.in पर उपलब्ध हैं और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2022 की धारा 6 (ii) के अनुसार, 45 दिनों के भीतर एनओसी दी जानी है, बशर्ते सभी आवश्यकताएं पूरी हो।
